उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल
रिट याचिका संख्या–एस/एस 251/2022

नरेन्द्रकम्बोज..याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री पूजा तिवारी।
उत्तराखण्ड राज्य की ओर से स्टैंडिंग कौन्सिल श्री एन0पी0 शाह।

तारीख 25 फरवरी 2022

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा

प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के आक्षेपित आदेशों पर प्रश्न उठाया है क्योंकि इसे प्रत्यर्थी संख्या 04 कलेक्टर जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर, उस तारीख से जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, 13 मई 2003 के शासकीय आदेश के खण्ड 10 के संदर्भ में विचार किया जा सकता है, जिसे 2015–2016 से 5 साल के लिए सेवा रिकार्ड में वार्षिक प्रविष्टियों के आधार पर आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

2. वास्तव में, स्वीकृत स्थिति जो सामने आई है, यद्यपि रिट के इस प्रक्रम पर प्रासंगिक नहीं है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के विरूद्व पुलिस थाना सर्तकता क्षेत्र देहरादून में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) में मामला दर्ज किया गया है और वर्तमान में न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार (सर्तकता) देहरादून के समक्ष लंबित है।

3. परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभिकथित संलिप्तता के लिए सेशन विचारण लंबित रहने के दौरान भी याचिकाकर्ता के प्रोन्नति के दावे पर विचार करने की आवश्यकता थी, बशर्ते याचिकाकर्ता प्रोन्नति के मानकों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय **के0 वी0 जानकी रमन बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 1991 एस0सी0 2010** में प्रतिपादित विनिश्चयाधार को पूर्ण करता।

4. मामले के प्रारंभ में जब याचिकाकर्ता द्वारा बहस किया गया था, तब न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के समक्ष यह प्रश्न रखा गया था, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 में, जिसमें यह उपबंधित है कि किसी लोक सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से हुई शिकायत के विरूद्व संपर्क करने का अधिकार है, में विहित उपबंधों को

दृष्टिगत रखते हुए क्यों न याचिकाकर्ता को लोक सेवा अधिकरण के समक्ष भेजा जाये।

5. ''लोक सेवक'' लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 की धारा 2 की उपधारा (ख) में परिभाषित किया गया है। इसलिए, यह समाधान होने के लिए कि याचिकाकर्ता को क्यों लोकसेवा अधिकरण में नहीं जाना चाहिए, मामले को बहस के लिए स्थगित किया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकाशित निर्णय **वर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स मुंबई व अन्य (1998) एस0सी0सी0 1** के आलोक में कथन किया कि वैकल्पिक उपचार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में रिट उपचार पर शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। यह अपवाद उक्त निर्णय के पैरा 14 और 15 में उपबंधित है जिसका सार निम्नवत है–

> ''**14.** भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और यह संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा परिसीमित नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग 3 में उपबंधित किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेक्षण प्रकृति की रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
>
> **15**. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों के संबंध में रिट याचिका को सुनने या न सुनने के लिए विवेकाधिकार है, लेकिन उच्च न्यायालय स्वयं अपने ऊपर कतिपय निर्बंधन लगा सकता है कि, यदि प्रभावी एवं प्रभावोत्पादक उपचार उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अनुकल्पी उपचार इस न्यायालय द्वारा लगातार अवधारित किया गया है। न्यायालय कम से कम तीन आकस्मिकताओं में अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेगा, अर्थात् जहां किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर की गयी है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है। इस बिन्दु पर बहुत सारे मामले कानून हैं लेकिन फोरेंसिक वर्लपूल के क्षेत्र को कम करते हुए हम संवैधानिक विधि के

उद्भव काल के कुछ निर्णयों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वे अभी भी क्षेत्र में हैं।''

7. वर्लपूल (उक्त) के निर्णय में उपबंधित मानदण्ड के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को संबोधित किया कि आक्षेपित आदेश बिना क्षेत्राधिकार के किया गया है, इस कारण वैकल्पिक उपचार का प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय का ध्यान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (निरीक्षक कानूनगो) नियम 1977 की ओर आकर्षित किया, जिससे याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें शासित होती हैं।

9. सेवा नियम 1977 के अनुसार और आगे जैसा कि कोई विवाद नहीं है, जो कि बहस किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किये गये प्रोन्नति के पद का नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर होगा। उसने कथन किया कि प्रोन्नति की प्रक्रिया का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाये और अध्याय 9 के नियम 27 को अध्याय 10 के नियम 30 के साथ पढ़ा जाये, जो कि सार रूप में निम्नवत है–

> **''30. निरीक्षक कानूनगो की नियुक्ति।**
>
> (1) बोर्ड सभी निरीक्षक कानूनगो की एक सूची बनाये रखेगा, उनके नाम उसी आदेश में व्यवस्थित किये जायेंगे जिसमें उनके नाम नियम 27 के तहत तैयार की गई सूची में हैं।
>
> (2) जब किसी जिले में वास्तविक रूप से निरीक्षक कानूनगो का पद रिक्त होता है तब कलेक्टर उपनियम (1) में तैयार किये गए सूची के अभ्यर्थियों को उस नियुक्ति की सूचना देगा, कलेक्टर उस अनुसरण में नियुक्ति करेगा।''

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नियम 30 के उपनियम (2) का निर्वचन किया कि जिले में निरीक्षक कानूनगो के पद की वास्तविक रूप से रिक्ति होने पर कर्तव्य अधिरोपित है कि वह इसकी सूचना बोर्ड को दे। यहां बोर्ड से तात्पर्य 1977 के नियम 3 का उपनियम (घ) में गठित बोर्ड अर्थात राजस्व बोर्ड से है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि यदि नियम 30 उपनियम (2) का कठोर निर्वचन किया जाय तो एक बार कलेक्टर द्वारा रिक्ति की सूचना बोर्ड को देने के बाद यदि बोर्ड नियम 30 उपनियम (1) में वर्णित सूची में से अभ्यर्थी की नियुक्ति की सूचना देता है तो कलेक्टर तद्नुसार

नियुक्ति करेगा। इसका तात्पर्य यह हे कि कोई भी संस्तुति के बाद, किसी भी कारण से कलेक्टर नियुक्ति प्राधिकारी होते हुए बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के विरोध में विनिश्चयन नहीं ले सकता है।

12. वस्तुतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नियम 30 के उपनियम (2) में प्रयुक्त भाषा पर बहस का प्रयत्न किया गया कि कलेक्टर जो याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी है पर यह आज्ञापक है कि वह बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति से व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। कलेक्टर के पास संस्तुति को स्वीकार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, इस स्वीकृत तथ्य के बावजूद भी वह प्रोन्नत पदों का नियुक्ति प्राधिकारी है, जिनका याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है।

13. जहां तक नियम 1977 का संबंध है यह विशेष रूप से प्रोन्नति के मानदण्ड या मापदंडों से संबंधित नहीं है, जिन्हें एक पदाधिकारी को पद पर प्रोन्नत के लिए विचार किये जाने के लिए विचार के क्षेत्र ठीक होना लाने के लिए पूरा करना आवश्यक है, और न ही 1977 के नियमों के किसी भी प्रावधान को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ध्यान दिलाया जा सकता है। बोर्ड की संस्तुति केवल एक राय है, यह नियुक्ति प्राधिकारी को विपरीत दृष्टिकोण रखने से नहीं रोकेगा।

14. उस स्थिति में, इस न्यायालय की राय में नियमों का नियम 41 लागू होगा। जो अवशिष्ट मामलों एंव प्रोन्नति के सामान्य नियम से संबंधित है। उन पदों पर, जो लोक सेवा अधिकरण की परीधि से बाहर है, लागू होंगे और उसमें विचार की गयी आदेशिका लागू होगी। यह मामले का एक पक्ष है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी यथा कलेक्टर के क्षेत्र के पूर्ण अपवर्जन का तर्क दिया गया। इस न्यायालय की राय के अनुसार, बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश से कलेक्टर के बाध्य होने का तर्क स्वीकार किया जाये तो यह बोर्ड द्वारा संस्तुति कर्मचारी की प्रोन्नति को कोई आदेश पारित करने की शक्ति को नकारता है, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं।

16. इन सभी पहलुओं और विशेष रूप से जिस पहलू पर याचिकाकर्ता ने बल देने की कोशिश की है, कि वैकल्पिक उपाय एक पूर्ण प्रतिबंध नहीं बनाएगा क्योंकि ''कलेक्टर'' ने 1977 के नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी होने के बावजूद आदेश पारित कर दिया है और बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुए आक्षेपित आदेश पारित नहीं कर सकता है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के दावे को

खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जो नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी है, जो उसकी सक्षमता के भीतर और तर्क के आधार पर है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि नियम 30 उपनियम (2) के तहत आक्षेपित प्रावधानों के आलोक में कलेक्टर ने प्रोन्नति से इन्कार नहीं कर सकता है, अपने आप में कलेक्टर को सेवा रिकार्ड के अपने द्व ारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की अस्वीकृति का आदेश पारित करने में अक्षम नहीं बनाएगा, और भले ही कलेक्टर बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद पदोन्नति की अस्वीकृति का आदेश पारित करता है फिर भी, इस न्यायालय का विचार है कि कलेक्टर का आदेश इस नाते वैकल्पिक उपाय के प्रतिबंध को समाप्त करने के छूट खंडों के भीतर नहीं आएगा कि कलेक्टर के पास बोर्ड द्वारा की गई शिफारिश के बावजूद दावे को निरस्त करने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसा कि वर्लपूल (उक्त) के आधार पर तर्क दिया गया है।

17. इस प्रकार, मेरी राय में याचिकाकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर द्व ारा दावे को खारिज करने का आदेश कलेक्टर की शक्ति के अंर्तगत था, जो नियमों के तहत याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी होता है और आगे यह न्यायालय यह अवधारित करने में संकोच नहीं करता कि बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश का केवल नाम की पहचान है के लिए एक अनुनयात्मक मूल्य है, वह भी तब जबकि बोर्ड द्वारा 1977 के नियमों के तहत कोई प्रक्रिया निर्धारित किये बिना कोई सिफारिश की जाती हे। कलेक्टर की नियुक्ति प्राधिकारी की सक्षमता में अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

18. यह सभी मामले लोक सेवा अधिकरण द्वारा परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के कलेक्टर के आदेश से इंकार किया गया है जो कि रिट याचिका में आक्षेपित है और इस न्यायालय की राय के अनुसार अधिकरण की धारा 4 के अंर्तगत आयेगा।

19. परिणामतः याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के अनुतोष हेतु लोक सेवा अधिकरण वापस भेजा जाता है। तद्दुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
25-02-2022

****